समक्ष हेमंत गुप्ता और मोहिंदर पाल, जे.जे,

डॉ. डी. एस. चावला, — याचिकाकर्ता

बनाम

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व अन्य — उत्तरदाताओं

C.W.P. 6101 /C of 2003

24 अप्रैल, 2008

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अधिनियम — विनियम 39.4 — याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया — जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप सही नहीं पाए — अनुशासनात्मक प्राधिकरण जांच अधिकारी के निष्कर्ष से असहमत है — असहमति के कारणों को याचिकाकर्ता को सूचित किया गया — याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा का आदेश किया — विनियम 39.4 के संदर्भ में, आईसीएआर के अध्यक्ष अनुशासनात्मक प्राधिकरण हैं— सचिव द्वारा दर्ज की गई असहमति के - कारणों को कभी भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उन पर सहमति व्यक्त की गई|

अभिनिर्धारित किया ,हो सकता है कि असहमति के कारणों को दर्ज किया हो, लेकिन असहमति के ऐसे कारणों को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा कभी स्वीकृत नहीं किया गया था क्योंकि कारणों को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले ही याचिकाकर्ता को सूचित कर दिया गया था | अनुशासनात्मक प्राधिकरण के असहमति के कारणों पर सहमत न होने क बावजूद भी सक्षम प्राधिकरण ने सजा अधिरोपित की| इस प्रकार, सजा का आदेश पारित करके अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया | अतः, संचार की चरण से जांच कार्यवाही को असहमति के कारणों की वजह से निरस्त किया जाता है |

(Para 10 and 14)

हेमंत गुप्ता, जे.

(1) वर्तमान रिट याचिका में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ (संक्षेप में 'द ट्रिब्यूनल') द्वारा 11 फरवरी, 2003 (अनुलग्नक पी. 17) को पारित एक आदेश को चुनौती दी गई है, जिससे प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 19 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन, 6 जून, 2002 के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती देते हुए (अनुलग्नक पी.13) खारिज कर दिया गया था।

(2) वर्तमान याचिका के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता को21 अप्रैल 1967 को **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद** (इसके बाद `ICAR 'के रूप में जाना जाता है), में प्रदर्शक के पद पर नियुक्त किया और करनाल में तैनाती कि | 19 मार्च, 1988 को उन्हें प्रमुख वैज्ञानिक रूप में पदोन्नत किया गया | 21 दिसंबर, 1999 को (अनुलग्नक P.2), याचिकाकर्ता को कदाचार के विभिन्न कार्यों के लिए चार्ज-शीट किया गया था| जांच अधिकारी ने 18 सितंबर, 2001 को अपनी रिपोर्ट दी है (अनुलग्नक P.5), जिसके तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं पाए गए | - इसी बीच, 30 जून, 2001 को, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, करनाल (हरियाणा) द्वारा निदेशक का पद विज्ञापित किया| गया चूंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित थी, जिसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जो याचिकाकर्ता की निदेशक के पद पर नियुक्ति को प्रभावित कर सकती थी , इसी लिए याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए अधिकरण के समक्ष मूल अर्जी दायर की |

(3) विद्वान न्यायाधिकरण ने अनुशासनात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया | चूंकि कार्यवाही अभी भी लंबित थी , याचिकाकर्ता ने एक अवमानना याचिका दायर की और उक्त याचिका की पेंडेंसी के दौरान ,14 अप्रैल, 2002 को (अनुलग्नक P.11), जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत नहीं होने पर, असहमति के कारण याचिकाकर्ता को बताये गए| याचिकाकर्ता ने उक्त पर अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया| | असहमति के कारणों और इस तरह के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों के आधार पर, 6 जून, 2002 (अनुबंध P.13)को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा का आदेश पारित किया गया था| उक्त आदेश को विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी ह

(4) याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया एक आधार था कि आईसीएआर विनियमों के उप-कानून 39.4 के संदर्भ में, ICAR का अध्यक्ष अनुशासनात्मक प्राधिकरण है, जबकि असहमति के कारणों को उचित प्राधिकरण के द्वारा दर्ज नहीं किया गया है | उक्त तर्क पर विचार करते हुए न्यायाधिकरण ने देखा कि असहमति नोट (अनुबंध 11) हालांकि उप सचिव पी. क. मुरगन, द्वारा हस्ताक्षरित है, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने निर्देशित किया था | न्यायाधिकरण ने असहमति नोट के अंतिम अनुछेद पर भी भरोसा किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण उक्त ज्ञापन की प्राप्ति के 15 दिनों के बाद उचित निर्णय लेगा |इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने पाया कि असहमति नोट सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था|

(5) इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने वीभत्स रूप से तर्क दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष गलत हैं और दरअसल , असहमति के कारण कभी भी अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा दर्ज नहीं किए गए | यह तर्क दिया जाता है कि कार्यालय द्वारा तैयार नोट को भी कभी अनुमति या अनुमोदन के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण (यानी आईसीएआर के अध्यक्ष, जो केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं) के समक्ष नहीं रखा | और इसलिए कार्यालय द्वारा दर्ज कारणों को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए कारणों के रूप में नहीं माना जा सकता | उपरोक्त कारणों को दर्ज करने का प्रश्न तथ्यात्मक प्रकृति का है| वकील श्रीअशोक चौधरी जो उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने असहमति के कारणों वाले दस्तावेज को पेश किया, दस्तावेज का अध्ययन यह दिखाता है कि सुश्री शशि मिश्रा, अतिरिक्त सचिव (DARE) और सचिव (ICAR) ने 27 मार्च, 2002 को जांच रिपोर्ट स्वीकार न करने के विस्तृत कारणों को दर्ज किया है | कहे गए नोटिंग का क्रियान्वयनिक भागनिम्नलिखित रूप से है"

".....इसलिए, जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट, जिसमें 3 आरोपों को साबित नहीं माना गया है, उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।"

S.O. (विग।) (एसडी / -) . . .,

शशि मिश्रा,
अतिरिक्त सचिव, (DARE) और
सचिव (ICAR)
27 मार्च, 2002."

(6) 3 अप्रैल, 2002 को अनुभाग अधिकारी (सतर्कता) नेअपनी टिप्पणी दर्ज कि | उक्त टिप्पणी को उप सचिव(सतर्कता), को चिह्नित किया गया था, जिन्होंने नोट किया है कि उक्त टिप्पणी को आज ही जारी किया जाना चाहिए| "नोटिंग का उक्त भाग निम्नलिखित रूप में है : -

"जांच अधिकारी के निष्कर्षों से की गई असहमति के जवाब में उनकी टिप्पणियां/प्रतिवेदन मांगने के लिए आरोपित अधिकारी को ड्राफ्ट मेमो प्रस्तुत किया गया है, स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

इसके साथ ही, कानून अनुभाग ने सूचित किया कि माननीय कैट चंडीगढ़ ने डॉ. डी. एस. चावला के मामले में जांच पूरी होने का समय 30 अप्रैल, 2002 तक बढ़ा दिया है| हालांकि, इसे30 अप्रैल, 2002 तक पूरा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगा, डॉ. डी. एस. चावला से प्रतिनिधित्व प्राप्त करने तथा विस्तृत विश्लेषण के बाद, मामले को दूसरे चरण के लिए सीवीसी को भेजा जाना आवश्यक है, जो अपना समय लेगी| तदनुसार, लंबी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आगे कम से कम तीन महीने का विस्तार अनिवार्य होगा

DS (Vig) कृपया देख सकते हैं.

(एसडी)

3 अप्रैल, 2002.

DS (Vig।) - कृपया आज ही जारी करें.

(एसडी

4अप्रैल,2002"

(7) ऐसी टिप्पणी के अनुसरण में, असहमति के कारण याचिकाकर्ता को अनुलग्नक P.11 के तहत सूचित किया गया था | याचिकाकर्ता ने अनुबंध P.12) के तहत 22 अप्रैल, 2002 को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया (जिसे 8 मई , 2002 को अनुभाग अधिकारी (सतर्कता) द्वारा माना गया था, और निदेशक (सतर्कता) के विचार के लिए रखा गया| निदेशक (सतर्कता) 9 मई, 2002 को दर्ज किया गया कि इस मामले में एक प्रक्रियात्मक गलती है और यह भविष्य में एक "तीक्ष्ण स्थिति पैदा कर सकती है | यह दर्ज किया गया है कि असहमति के कारणों को पहली बार जांच रिपोर्ट के साथ आरोपित अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए था, लेकिन प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उचित तरीके से पालना तब हुई जब असहमति के कारणों को आरोपित अधिकारी को 4 अप्रैल, 2002 को सूचित किया गया था। इसके बाद, केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह की जांच करने के बाद, निदेशक (सतर्कता) ने 27 मई, 2002 को निम्नलिखित प्रस्तावित किया : —

जीसी

.....

8. ऊपर वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, कानून अनुभाग ने सुझाव दिया कि डॉ. डी. एस. चावला के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को सकारात्मक रूप से जून, 2002 से पहले पास करना उचित होगा।

तदनुसार, माननीय ए.एम. और आईसीएआर के अध्यक्ष जो प्रमुख वैज्ञानिकों के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकरण है , CVC की सलाह पर विचार कर सकते हैं और CCS(CCA) नियम, 1965 के नियम 11 के तहत परिकल्पित दंडों में से एक लगाने का निर्णय ले सकते हैं या डॉ. डी. एस. चावला, प्रमुख वैज्ञानिक, CIRB, हिसार , जैसा कि उचित समझे| CCS (CCA) Rules, 1965 के नियम 11 के अंतर्गत निर्धारित दंडों की सूची को पढ़ने के लिए नीचे प्रस्तुत किया गया है। डॉ. डी. एस. चावला 31 जनवरी, 2004 को सुपरेन्युएशन की आयु को पूरा करने पर परिषद की सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

सीवीओ, आईसीएआर (एसडी / -) . . •,

(क. एन. कुमार),
निदेशक (विग।)

27 मई, 2002.

(8) "इस प्रस्तावना पर, माननीय कृषि मंत्री ने 29 मई, 2002 को अपनी टिप्पणी दी, 'अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है'।

(9) ऊपर दिए गए टिप्पणियों की जाँच से स्पष्ट होता है कि आईसीआआर के सचिव द्वारा 27 मार्च, 2002 को दर्ज की गई असहमति के कारण कभी भी 4 अप्रैल, 2002 को या उससे पहले अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा विचार के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे , जब याचिककर्ता को इन असहमति के कारणों की सूचना दी गई थी।" उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया कि चूंकि असहमति के कारणों और याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व के बाद के विचार को कृषि मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसलिए असहमति के कारणों को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित माना जाएगा।

(10) पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुनने के बाद, हमें उत्तरदाताओं के रुख में कोई योग्यता नहीं मिली। हो सकता है असहमति के कारण दर्ज हों, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा असहमति के ऐसे कारणों पर कभी भी सहमति नहीं दी गई क्योंकि याचिकाकर्ता को सूचित किए जाने से पहले उन्हें कभी भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी के सामने नहीं रखा गया था। सक्षम प्राधिकारी ने दंड लगाया है, भले ही असहमति के कारणों के संचार से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा असहमति के कारणों पर सहमति नहीं दी गई थी। इस प्रकार, हमारा मानना है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित दंड का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

(11) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम कुंज बिहारी मिश्रा[1],** और **योगीनाथ डी. बागड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य[2],** का हवाला देते हुए तर्क दिया कि यदि जांच अधिकारी ने दोषी अधिकारी दोषमुक्त कर दिया है। और सक्षम प्राधिकारी दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अपराधी को असहमति के कारणों के बारे में सूचित करना होगा और उसके बाद दर्ज किए गए ऐसे कारणों के खिलाफ कारण बताने का अवसर प्रदान करना होगा। अपराधी को दी गई चार्जशीट के संबंध में अंतिम निर्णय दायर किए गए उत्तर, , पर विचार करने के बाद लिया जाना आवश्यक है।

(12) **कुंज बिहारी मिश्रा के मामले में** *(Supra),* माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब भी अनुशासनात्मकता प्राधिकरण जांच प्राधिकरण के किसी भी लेख पर असहमत होती है ,इसे अपने असहमति के उपयुक्त कारणों को दर्ज करना और फैसला दर्ज करने से पहले दोषी अधिकारी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को अंतिम निर्णय लेने से पहले आरोपित अधिकारी को एक अवसर देने की आवश्यकता होती है इस विषय में निम्नलिखित निर्णय लिया गया था:-

> "19. उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों को विनियमन 7(2) में शामिल किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, जब भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी किसी भी आरोप पर जांच प्राधिकारी से असहमत होता है, तो ऐसे आरोप पर अपने स्वयं के निष्कर्षों को दर्ज करने से पहले, उसे ऐसी असहमति के लिए अपने अस्थायी कारणों को दर्ज करना होगा और दोषी अधिकारी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर देना होगा। जांच अधिकारी की रिपोर्ट जिसमें उसके निष्कर्ष शामिल हों, को अवगत कराना होगा और दोषी अधिकारी के पास अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच अधिकारी के अनुकूल निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए राजी करने का अवसर होगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जैसा कि हमने पहले ही देखा है, उस प्राधिकारी की आवश्यकता होती है जिसे अंतिम निर्णय लेना होता है और जुर्माना लगा सकता है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा

---

[1] 1998 (7) S.C.C. 84
[2] 1999 (7) S.C.C. 739

अपने निष्कर्षों को दर्ज करने से पहले कदाचार के आरोपी अधिकारी को एक प्रतिनिधित्व दायर करने का अवसर देना चाहिए। अधिकारी के ख़िलाफ़ आरोप तय किए गए।

(13). पूर्वोक्त निर्णय के बाद, माननीय सर्वोच्च कोर्ट ने **भारत का स्टेट बैंक और अन्य** *बनाम* **के.पी. नारायणन कुट्टी** [3]**में** इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि ऐसे मामलों में जहां असहमति के कारणों को सूचित नहीं किया जाता है, दोषी कर्मचारी को पूर्वाग्रह का कारण बताना होगा| इसका निम्नलिखित प्रभाव था:-

" पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम कुंज बिहारी मिश्रा में फैसले के पैरा 19 में, जो कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों को Regulation 7(2) में शामिल किया जाना चाहिए[[भारतीय स्टेट बैंक (पर्यवेक्षण कर्मचारी) सेवा नियमों का नियम 50(3)(ii), वर्तमान मामले में लागू शर्तों के समान है] और दोषी अधिकारी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को स्वीकार करने के लिए मनाने का अवसर देना होगा जांच अधिकारी के अनुकूल निष्कर्ष के बावजूद, हमें अपीलकर्ताओं की ओर से दिए गए तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि जब तक यह नहीं दिखाया जाता कि प्रतिवादी के साथ कुछ पूर्वाग्रह हुआ है, तब तक उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है। "

(14) इस प्रकार, हमारी राय है कि असहमति के कारणों के संचार के चरण से जांच कार्यवाही दूषित हो गई है। हालाँकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अन्य आधारों पर सजा के आदेश को चुनौती देने की मांग की है, लेकिन चूंकि हमने पाया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा असहमति के कारणों को दर्ज न करने के कारण सजा का आदेश रद्द हो गया है, इसलिए, हम अन्य तर्कों की जांच नहीं कर रहे हैं|

(15) नतीजतन, हम वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित 11 फरवरी, 2003 (अनुलग्नक पी-17) के आक्षेपित आदेश को रद्द कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप, सजा का आदेश (अनुलग्नक पी-13) रद्द किया जाता है। हालाँकि, यहां, यदि उत्तरदाताओं चाहते हैं, तो उनके लिए सहमति के कारणों को दर्ज करने के चरण से ही उचित निर्णय लेने की अनुमति होगी, और उन्हें कानून के अनुसार आगे बढ़ने का अधिकार होगा।

---

[3] 2003 (2) S.C.C. 449

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

निशा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी, हरियाणा